

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2386 / 2024

दिनांक : 11.07.2024

श्री विनोद कुमार बागड़ी (RJ00714), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, करौली को दिनांक 15.07.2024 से 16.07.2024 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 14.07.2024 एवं 17.07.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री बागड़ी की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, करौली के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

Results
11.7.24
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/84/2011/ 5700

दिनांक : 11.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 3819 दिनांक 21.06.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री विनोद कुमार बागड़ी (RJ00714), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, करौली।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, करौली।

11.7.2024
सहायक रजिस्ट्रार